गया था। अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर की अदायगी के संबंध में एक विमान अभी भी आसेधित है।

Schemes Launched in Observance of the World-No-Tobacco Day

1595. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what schemes or programmes, if any, were launched by Government in observance of the world-no-tobacco day this year (May end);

(b) the number of persons who died of tobacco related diseases during the decade 1981—90 and the first half of the nineties in India;

(c) how many of the victims were non-smokers; and

(d) what steps have been/are being taken to curb/prevent such diseases aspecially to non-smokers or passive smokers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No specific schemes or programmes were launched by Govt. in observance of the World-no-tobacco day this year (May end).

(b) and (c) No reliable data is available, year-wise. However, it is estimated that about 8 lakh people die per year due to tobacco related diseases in the country.

(d) Govt. has initiated several measures like education about the ill effects of tobacco, prohibition of smoking in public places, besides a statutory warning on cigarette pack that smoking is injurious to health.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) देशों के मुख्य न्यायाधीशों की कांफ्रेंस

†1596. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के अंतर्गत, दक्षेस देशों के मुख्य न्यायाधीशों की एक पृथक कांफ्रेंस स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कांफ्रेंस इस क्षेत्र के देशों में उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक और अन्य विचारों के संबंध में संकल्प तैयार करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के विधिक समुदायों के व्यक्तियों के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि के रूप में ज्ञात एक स्वैच्छिक संगम 1991 में स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्यों के अंतर्गत घनिष्ठ सहयोग के लिए क्षेत्र के भीतर विधिक समुदायों को एकजुट करना और विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन हेतु स्रोत के रूप में उनका विकास करना भी है। इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द्वारा जुलाई, 1994 में विधिक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी। अन्य उद्देश्यों के साथ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि इस समय दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन मध्यस्थम केन्द्र की स्थापना करने में लगी हुई है। 31 मार्च से 2 अप्रैल, 1995 तक काठमांडू में हुए चौथे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि सम्मेलन के दौरान नेपाल के मुख्य न्यायमूर्ति की पहल पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के संगठन देशों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन हुआ था। काठमांडू सम्मेलन में किए गए विनिश्चय के अनुसार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि के भविष्य में होने वाले सम्मेलनों के दौरान सदस्य देशों के मुख्य न्यायमूर्तियों की समानान्तर बैठकें एक नियमित विशिष्टता बनेगी।